न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–1176/2025
उत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या :–363/2023

1. शारदा देवी	**उम्र लगभग 62 वर्ष**	**पति– स्व0 बिन्देश्वरी यादव**
2. अमरजीत कुमार	**उम्र लगभग 30 वर्ष**	**पिता– अशोक कुमार यादव**
दोनों साकिन–घोसाइ	**थाना–चौसा**	**जिला–मधेपुरा।**

–आवेदकगण/अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार – **विपक्षी**

अग्रिम जमानत आदेश

16–04–2026

अभियुक्त 1. शारदा देवी एवं 2. अमरजीत कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन जो सिंहेश्वर थाना कांड संख्या–363/2023 अन्तर्गत धारा–341, 323, 327, 379, 384, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 से संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता श्री सुमन कुमार सिंह द्वारा प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा कोई आपराधिक कृत्त नहीं किया है। आगे कहते है कि प्राथमिकी से स्पष्ट है कि दोनो पक्षों में जमीन संबंधी विवाद है तथा आवेदिका सं0–01 और सूचक के पिता उस जमीन के भागीदार हैं एवं आवेदिका के पति की मृत्यु के उपरांत उसे तथा आवेदक–02 दामाद होने के वजह से भागीदारों (सूचक) द्वारा जमीन हडपने की नियत से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी संबंध में आवेदिका–01 द्वारा कई ममाले जैसे सिंहेश्वर थाना कांड सं0–332/24 एवं 333/24 दर्ज करवाया गया है तथा वर्तमान मामला भी इसी भूमि विवाद से उत्पन्न हुआ है। आवेदको का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। आवेदकों के विरूद्व विल्कुल झूठा और बनावटी मामला सूचक द्वारा लाया गया है जिसमे धारा–379, 327 व 384 भा.द.वि. के अतिरिक्त अन्य सभी धाराएं जमानतीय है। आवेदिका सं0–01 बूढी महिला है जिसकी देखभाल आवेदक सं0–02 (दामाद) द्वारा किया जाता है, जो दया के पात्र है तथा जिनके फरार होने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः आवेदकों को जमानत प्रदान करने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

–लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–1176 / 2025
उत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या :–363 / 2023
–2–

लगातार
16–04–26

– अभियोजन वाद यह है कि दिनांक 29.12.23 को दिन के 1:00 बजे अपने आवास लालपुर पहूंचा तभी शारदा देवी, आशीष कुमार, नीलम देवी अमरजीत यादव (शारदा देवी का दामाद), सह–अभियुक्तों ने षडयंत्र रचकर अज्ञात अपराधी प्रवृति के व्यक्तियों के साथ मिलकर हरवे–हथियार से लैस होकर सूचक के घर में घुस गये और सूचक को गाली–गलौज करने लगे जिसका सूचक ने विरोध किया तो इन सभी अभियुक्तों ने सूचक के साथ मारपीट करने लगे तथा अमरजीत यादव ने सूचक के सिर पर बंदुक सटा दिया और सूचक के जेब से जबरदस्ती 9000 हजार रूपये निकाल लिये तथा आशीष कुमार ने सूचक के गले से सोने का चेन खींच लिया। शारदा देवी ने सह–अभियुक्तों को आदेश दिया कि विनय अभिषेक को जान से मार दो। शारदा देवी अमरजीत यादव और आशीष कुमार ने मुझे कहा यह जमीन मेरे नाम से लिख दो नही तो जान से मार देंगे और दोबारा लालपुर नहीं आने की धमकी दिया साथ ही अमरजीत यादव और शारदा देवी ने सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर कहा कि इस जमीन को मेरे नाम पर कर दो या पाँच लाख रूपये रंगदारी की माँग करने लगे। इससे पूर्व दिनांक– 23.12.23 को आदर्श थाना सिंहेश्वर के जनता दरबार में उपस्थित होने के बाद मैं अपने आवास लालपुर पर पहुँचा तो सूचक के साथ उक्त सह–अभियुक्तों ने मारपीट और गाली–गलौज करने लगे जिससे सूचक वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाई। इससे पूर्व मे मौजा बुढ़ावे खेसरा 1081 जो कि सूचक के पिता की जमीन है को खेती हेतु दिनांक 19.12.23 को तैयार कर रहा था, उसी समय उक्त सभी अभियुक्तों ने खेत पर पहुंचकर खेत को बाधित किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–341, 323, 327, 379, 384, 504, 506, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदकों के विरूद्व अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर हरवे हथियार से लेस होकर सूचक के घर मे घुसकर गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने तथा बंदूक का बट सटाकर सोने का चैन एवं नौ हजार रूपय जबरन निकला लेने एवं जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। कांड दैनिकी के पारा–02, 06 एवं 07 में वादी तथा साक्षियों ने घटना का समर्थन किया गया है। पारा–14 में पुलिस निरीक्षक, सदर मधेपुरा की पर्यवेक्षण टिप्पणी अंकित है जिसमें यह बात प्रकाश मे आई है कि दोनो वादी और अभियुक्तों के बीच में पूर्व से जमीन का विवाद चल रहा है जिससे दोनो पक्षों में वाद विवाद होते रहता है।

–लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–1176 / 2025
उत्पन्न सिंहेश्वर थाना कांड संख्या :–363 / 2023
–3–

लगातार
16–04–26

यद्यपि अभियोग जमीनी विवाद को लेकर सूचक के साथ मारपीट करने का तथा रूपया एवं सोने के चेन छीनने का है एवं आवेदिका पर मारपीट का विशिष्ट अभियोग नहीं है तथा कोई जख्म होने की बात प्राथमिकी या कांड दैनिकी से परिलक्षित नहीं होती है और न ही उक्त की बरामदगी हुई है। आवेदिका सं0–01 महिला है तथा 62 वर्षीय वृद्धा है तथा आवेदकगण का पूर्व आपराधिक इतिहास स्वच्छ होने की बात आवेदन के पारा–iii में विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवेदक अभियुक्तों द्वारा मो. 10,000 / – रू. के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि वे आदेश की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर संबंधित न्यायालय में गिरफ्तारी अथवा आत्म–समर्पण की स्थिति में धारा–482(2) बी.एन.एस.एस. का अंडर टेकिंग न्यायालय के संतुष्टि के आलोक में बंध–पत्र दाखिल करेंगे तथा वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित

Dhirendra Kumar Ray
16/04/26

प्र0 अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।